संख्या-4/2015/19बीपी/35-1-2015

प्रेषक,

नवीन चन्द्र त्रिपाठी
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ :दिनांक: 09 फरवरी, 2015

विषय: बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत उद्यान विभाग की परियोजनाओं हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–3/2015/19बीपी/35-1-2015 दिनांक 27 जनवरी, 2015 के अनुक्रम में अधेहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भित शासनादेश के प्रस्तर-2 में "20-सब्सिडी" को "27-सब्सिडी" पढा जाये। अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेगें।

2- संदर्भित शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव

संख्या– **4/2015 (1)**/19बीपी (1)/35-1-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलहाबाद।
3- प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग।
4- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग।
5- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
6- मण्डलायुक्त, झांसी/चित्रकूट धाम।
7- जिलाधिकारी, झांसी / ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
8- मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
9- कोषधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
10- वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
11- गार्ड फाईल ।
12- वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।

आज्ञा से

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in